रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3 —उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 478] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 20, 2000/आषाढ़ 29, 1922
No. 478] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 20, 2000/ASADHA 29, 1922

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2000

का.आ. 683(अ).—केन्द्रीय सरकार ने वर्तमान में उपयोग किए जा रहे कतिपय नाशकजीवमारों के भारत में उनके निरंतर उपयोग को जारी रखने या न रखने की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था ;

और केन्द्रीय सरकार का, उक्त विशेषज्ञ समूह द्वारा दी गई सिफारिशों पर विचार करने और कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अधीन गठित रजिस्ट्रीकरण समिति से परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि अल्यूमिनियम फॉसफाइड की प्रत्येक 3 ग्राम की 10 और 20 टैबलेट्स की अल्यूमिनियम ट्यूब पैक के उपयोग में मनुष्यों, के स्वास्थ्य के लिए परिसंकट अंतर्वलित है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 28 के साथ पठित धारा 27 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रारूप आदेश करने का प्रस्ताव करती है, अर्थात् :—

प्रारूप आदेश

केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अल्यूमिनियम फॉसफाइड की प्रत्येक 3 ग्राम की 10 और 20 टैबलेट्स के अल्यूमिनियम ट्यूब पैक के उपयोग में मनुष्यों, के स्वास्थ्य के लिए परिसंकट अंतर्वलित है, अतः अल्यूमिनियम फासफाइड की प्रत्येक 3 ग्राम की 10 और 20 टैबलेट्स की क्षमता वाले एल्यूमिनियम ट्यूब पैक के उत्पादन, विपणन और उपयोग पर राजपत्र में आदेश के अन्तिम प्रकाशन की तारीख से पूर्ण पाबन्दी लगाने का प्रस्ताव करती है ।

राज्य सरकार को अपनी अधिकारिता में ऐसे उपाय करने के लिए सशक्त किया जाएगा जो वह इस आदेश को कार्यान्वित करने के लिए ठीक समझे ।

प्रारूप आदेश, जिसे केन्द्रीय सरकार देने का प्रस्ताव करती है, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप आदेश पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पैंतालिस दिन की अवधि की समाप्ति पर विचार किया जाएगा ;

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त प्रारूप आदेश की बाबत सुझाव और आक्षेप देने का इच्छुक हो, केन्द्रीय सरकार द्वारा उस पर विचार करने के लिए, संयुक्त सचिव (पौध संरक्षण), कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली–110001 को भेज सकता है ।

[फा. सं. 17-2/98-पीपी.I]

पी. डी. सुधाकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

ORDER

New Delhi, the 20th July, 2000

S.O. 683(E).— Whereas the Central Government had set up an Expert Group to undertake review of certain pesticides in use at present to consider their continued use or otherwise in India.

And whereas the Central Government after considering the recommendations of the said Expert Group and after consultation with the Registration Committee set up under the Insecticides Act, 1968 is satisfied that the use of aluminium tube pack containing 10 and 20 tablets each of 3 grams of Aluminium phosphide involves health hazards to human beings.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 read with section 28 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby proposes to make the following draft Order, namely:-

Draft Order

Whereas it is the opinion of the Central Government that the use of aluminium tube packs containing 10 and 20 tablets each of 3 grams of Aluminium phosphide involves health hazards to human beings and therefore, proposes that the production, marketing and use of aluminium tube packs with a capacity of 10 and 20 tablets of 3 grams each of Aluminium phosphide shall be banned completely from the date of the final publication of the Order in the Official Gazette.

The State Government shall be empowered to take all such steps in their respective jurisdiction as it may deem fit for carrying out this Order.

The draft Order which the Central Government proposes to make, is hereby published for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft Order shall be taken into consideration after the expiry of a period of forty five days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this Order are made available to the public;

Any person desirous of making any suggestions or objection in respect of the said draft Order may forward the same for consideration of the Central Government within the period so specified to the Joint Secretary (Plant Protection), Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation), Krishi Bhavan, New Delhi-110001.

[F. No. 17-2/98-PP.I]

P. D. SUDHAKAR, Jt. Secy

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.